SJU Govt. Registered Social Justice Union

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 04 मार्च 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 156

क्वाड की बैठक में चीन-पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार, गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर दी कड़ी चेतावनी जारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। जी-20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के अगले दिन आज यहां अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के चतुष्कोणीय गठबंधन (क्वॉड) की मंत्रिस्तरीय बैठक हुई जिसमें चीन एवं पाकिस्तान को आतंकवाद और हिन्द प्रशांत क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधियों के प्रति कड़ी चेतावनी दी गई।

विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हुई क्वाड की इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी योंग और उप विदेश मंत्री केंजी यामादा शामिल हुए। बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

करीब 18 बिन्दुओं के इस वक्तव्य में कहा गया कि हमारी आज की बैठक एक मुक्त और खुले हिन्द प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए क्वाड की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, जो समावेशी और लचीला है। हम स्वतंत्रता, कानून के शासन, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता तथा नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता, बिना किसी खतरे या बल के प्रयोग के विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों का दृढ़ता से समर्थन करते हैं और यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का विरोध करते हैं जो समूचे हिंद-प्रशांत क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

वक्तव्य में कहा गया कि हम अपने दृढ़ विश्वास को दोहराते हैं कि क्वाड, क्षेत्रीय और वैश्विक कल्याण के लिए एक बल के रूप में कार्य कर रहा है, अपने सकारात्मक और रचनात्मक एजेंडे के माध्यम से हिन्द-प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होगा। क्वाड के माध्यम से, हम स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, स्थायी, पारदर्शी एवं निष्पक्ष ऋण के माध्यम से ऋण संकट का समाधान एवं वित्तपोषण, अंतरिक्ष सहयोग, साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर), समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला जैसी समकालीन चुनौतियों पर व्यावहारिक सहयोग का समर्थन करना चाहते हैं।

वक्तव्य में आतंकवाद के बारे में कहा गया है कि हम स्पष्ट रूप से आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की उसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में निंदा करते हैं। हम आतंकवाद के उपयोग की निंदा करते हैं और आतंकवादी संगठनों को किसी भी तरह की रसद, वित्तीय या सैन्य सहायता प्रतिबंधित करने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय और सीमा पार हमलों सहित आतंकवादी हमलों को शुरू करने या साजिश रचने के लिए किया जा सकता है। हम 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले और पठानकोट हमले सहित सभी आतंकवादी हमलों की निंदा दोहराते हैं, जिसमें सभी क्वाड देशों के नागरिकों की जानें गयीं थीं।

बयान में यह भी कहा गया कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा ऐसे आतंकवादी हमलों के निर्दिष्ट अपराधियों के लिए जवाबदेही तय करने के लिए अपने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संबंध में, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध व्यवस्थाओं के कामकाज का राजनीतिकरण करने के प्रयासों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और सभी राज्यों से प्रतिबंध समितियों की पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और साक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली को बनाए रखने का आह्वान करते हैं।

वक्तव्य में कहा गया कि हम गहरी चिंता के साथ नोट करते हैं कि आतंकवादियों द्वारा मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन आदि और इंटरनेट जैसी उभरती एवं विकसित तकनीकों के उपयोग से आतंकवाद तेजी से फैल रहा है। सोशल मीडिया, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवाद के लिए उकसाने, आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण, साजिश एवं तैयारी के लिए एक मंच का कार्य कर रहा है। हम गत वर्ष अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित क्वाड काउंटर-टेररिज्म पॉलिसी मीटिंग और टेबलटॉप अभ्यास में इन विषयों पर केंद्रित चर्चाओं से संतुष्ट हैं। हमें आतंकवाद-रोधी क्वाड वर्किंग ग्रुप की स्थापना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो क्वाड, हिन्द-प्रशांत साझीदारों के साथ, आतंकवाद के नए और उभरते रूपों, हिंसा और हिंसक अतिवाद के लिए कट्टरता का मुकाबला करने के लिए सहयोग सुनिश्चित करेगा।

महत्वपूर्ण एवं खास

सोनिया गांधी की सेहत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार उन्हें बुखार आने के बाद आज अस्पताल में भर्ती कराया गया उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। अस्पताल में उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। सर गंगाराम हॉस्पिटल ट्रस्ट सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा ने बताया कि सोनिया गांधी को 2 मार्च 2023 को चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अरूप बसु की निगरानी में सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी जांच की जा रही है और उनकी हालत स्थिर है। बता दें, इससे पहले सोनिया गांधी को जनवरी में भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस दौरान वह वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गई थीं। करीब एक सप्ताह तक इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उस दौरान 'भारत जोड़ो' यात्रा में व्यस्त राहुल गांधी भी पदयात्रा छोडकर दिल्ली पहुंच गए थे।

पुलिस ने अतीक अहमद के बेटों को हिरासत में लेने से किया इनकार

प्रयागराज (आरएनएस)। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद के दो बेटों को हिरासत में लेने से इनकार किया है। अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने आरोप लगाया था कि उनके बेटों को पुलिस ने 24 फरवरी को उनके आवास से उठा लिया था और तब से उनका कोई पता नहीं है। शाइस्ता ने कहा कि धूमनगंज थाने में पुलिस द्वारा उसके बेटों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। इसलिए, उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) से पुलिस से रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया। धूमनगंज पुलिस ने प्रयागराज के सीजेएम दिनेश कुमार गौतम की कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक, ऐजान अहमद और अबान अहमद (अतीक के दो बेटे) के नाम वाला कोई भी व्यक्ति पुलिस हिरासत में नहीं है। न तो ऐसे नाम वाले व्यक्ति पुलिस की सामान्य डायरी (जीडी) में दर्ज हैं और न ही उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं है। शाइस्ता परवीन द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में कोर्ट ने 28 फरवरी को धूमनगंज पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी।

बेंगलुरु में विधायक के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड, 8 करोड़ कैश बरामद- बेटा रिश्वत लेते गिरफ्तार

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोकायुक्त की रेड में बीजेपी विधायक के ठिकानों से करीब आठ करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ है। दरअसल पहले लोकायुक्त ने विधायक मदल विरुपक्षप्पा के बेटे को 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके कार्यालय और विधायक के आवास पर छापेमारी की। लोकायुक्त द्वारा देर रात की गई रेड में बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा के आवास से छह करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा विधायक के बेटे प्रशांत मदल के कार्यालय से 1.7 करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ। अब लोकायुक्त कार्यालय की ओर से विधायक से भी पूछताछ के लिए समन जारी किया जा सकता है।

गया एयरपोर्ट को मिली उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट जारी; पुलिस और जांच एजेंसियां एक्शन में

गया (आरएनएस)। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रोन से उड़ाने की धमकी मिली है। यह पत्र एयरपोर्ट डायरेक्टर को भेजा गया है। इसमें होली के दिन ड्रोन और केमिकल से हमले करने की जिक्र है। एयरपोर्ट डायरेक्टर बंगजीत साहा ने कहा है कि एक चि_ी प्राप्त हुई है जिसमे एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी लिखी गई है।

डायरेक्टर को मिले पत्र में 27 लोगों के नाम और पते हैं। जिसमें से 3 लोग गया के हैं। इस धमकी भरे पत्र को गया एयरपोर्ट डायरेक्टर द्वारा गृह मंत्रालय दिल्ली और गया एसएसपी को भेजा गया है। यह चि_ी किसके द्वारा भेजी गई है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मामले की गंभीरता को लेकर गया में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पुलिस और जांच एजेंसियां भी एक्शन में आ गई हैं।

इस मामले को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन और जिला पुलिस विभागीय अधिकारियों के द्वारा एक बैठक भी सुरक्षा को लेकर की गई। इस मामले में जिला पुलिस भी अभी चुप्पी साध रखी है। एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है, हालांकि इस चि_ी मिलने के बाद गया पुलिस भी अपनी पैनी निगाह बनाए रखे हैं। वहीं पुलिस इसे गंभीरता से जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है, कि यह किसी संगठन या फिर किसी शरारती तत्वों का हाथ तो नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब पहनकर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने वाली याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की याचिका खारिज कर दी। एक महिला वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। वकील ने कहा कि पांच दिन बाद परीक्षा है, इसलिए याचिका को सूचीबद्ध किया जाए।

बेंच ने वकील से कहा, आप आखिरी तारीख को आइए, हम क्या कर सकते हैं? प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि होली के अवकाश के बाद मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ गठित की जाएगी।

22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अपने हिजाब पहनकर वार्षिक परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था।

छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता शादान फरासत ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ को बताया कि उन्हें सरकारी कॉलेजों में 9 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होना है।

शीर्ष अदालत ने वकील से पूछा, उन्हें परीक्षा देने से क्यों रोका जा रहा है? वकील ने बताया कि हिजाब पहनने के कारण। उन्होंने कहा कि छात्राओं को एक वर्ष का नुकसान पहले ही चुका है और यदि कोई राहत नहीं दी गई, तो उन्हें एक और वर्ष का नुकसान हो जाएगा।

23 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेजों की कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए तीन-न्यायाधीशों की पीठ गठित करने की याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में कर्नाटक में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं में कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा पहने जाने वाले हिजाब पर प्रतिबंध की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला दिया था। खंडित फैसला जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने दिया।

न्यायमूर्ति गुप्ता, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने कर्नाटक सरकार के सकरुलर को बरकरार रखा और कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति धूलिया ने प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक सरकार के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि संविधान भी भरोसे का दस्तावेज है और अल्पसंख्यकों ने बहुमत पर भरोसा जताया है।

एमएस धोनी, आलिया भट्ट समेत कई बड़ी हस्तियों के नाम पर ठगी को अंजाम देने वाले 5 शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी सहित 95 प्रमुख हस्तियों के पैन कार्ड विवरण हासिल करने और उनके नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी कराने के आरोप में पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक, कार्ड पुणे स्थित फिनटेक स्टार्टअप 'वन कार्ड' से जारी किए गए थे। आरोपियों ने डिटेल का इस्तेमाल कर बैंकों से 50 लाख रुपये से अधिक की ठगी की।

जालसाजों द्वारा जिन अन्य हस्तियों के नाम और विवरण का उपयोग किया गया, उनमें शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, इमरान हाशमी, सैफ अली खान, सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, ऋतिक रोशन आदि शामिल थे। आरोपियों की पहचान पुनीत, मोहम्मद आसिफ, सुनील कुमार, पंकज मिश्र और विश्व भास्कर शर्मा के रूप में हुई है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (पूर्वी रेंज), छाया शर्मा ने कहा कि आरोपियों ने बैंकों से 50 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के लिए 95 मशहूर हस्तियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सरकारी आईडी बनाई। शीर्ष अधिकारी ने कहा, खामी दस्तावेजीकरण और बैकएंड सत्यापन में है, जिसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। सभी आरोपियों को आईटी का अच्छा ज्ञान है।

पूछताछ में पता चला कि ये इन सेलेब्रिटीज की जीएसटी डिटेल्स गूगल से हासिल किए। वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जीएसटीआईएन के पहले दो अंक राज्य कोड हैं और अगले 10 अंक पैन नंबर हैं। चूंकि मशहूर हस्तियों की जन्म तिथि गूगल पर उपलब्ध है, ये वहां से डिटेल ले लेते हैं।

उन्होंने धोखे से अपनी खुद की तस्वीरें लगाकर पैन कार्ड को फिर से बनवाया ताकि वीडियो सत्यापन के दौरान, उनका लुक उनके पैन/आधार कार्ड पर उपलब्ध फोटो से मेल खा सके। अधिकारी ने कहा, आरोपी क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते थे और वीडियो सत्यापन के दौरान उनसे उनकी वित्तीय गतिविधियों से संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिसका उन्होंने आसानी से जवाब दिया क्योंकि उन्हें सिबिल से ऐसे सभी विवरण मिले थे।

आईपीएस रश्मि शुक्ला बनी डीजी एसएसबी, फोन टैपिंग के लग चुके हैं आरोप

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र कैडर की चर्चित आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। वे सीआरपीएफ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी निभा रही थीं। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र खुफिया विभाग की पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। वे इससे पहले फोन टैपिंग से जुड़े एक मामले में सुर्खियों में भी आई थीं।

जानकारी के अनुसार पिछले महीने ही केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने रश्मि शुक्ला के डायरेक्टर जनरल रैंक पर प्रमोशन को हरी झंडी दी थी। इसके बाद गुरुवार को उनकी पोस्टिंग एसएसबी में की गई है। वे अनीश दयाल सिंह की जगह लेंगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को अपने एक आदेश में ये जानकारी दी है।

1988 बैच और महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला एक तरफ फोन टैपिंग के आरोपों से घिरी रहीं हैं, तो वहीं उन्हें महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा और बेहतरी के प्रति अपने समर्पण के लिए भी जाना जाता है। रश्मि शुक्ला को कई बड़े सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है।

बता दें कि रश्मि शुक्ला पर आरोप लगा था कि उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत, एनसीपी नेता एकनाथ खडसे सहित कुछ अन्य नेताओं का फोन टैप किया था। इस सिलसिले में कोलाबा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज की गई थी।

आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण रहेगी केंद्र सरकार की विशेष प्राथमिकता : रक्षा मंत्री

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। यह दोनों मंत्रियों के बीच पहली बातचीत थी। रक्षा मंत्री ने इजरायल के रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति पर गैलेंट को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण और घरेलू विनिर्माण के लिए सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित किया। उन्होंने भारत में एक जीवंत और विश्व स्तरीय रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण के लिए इजरायली उद्योगों के सहयोग को स्वीकार किया और विशेष रूप से आला प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में अपने निवेश को गहरा करने के लिए इजरायली उद्योगों को आमंत्रित किया।

उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए एयरो इंडिया 2023 के दौरान भारतीय और इजरायली कंपनियों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस क्षेत्र में भारत द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका पर प्रकाश डाला और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में अपनी सरकार की गहरी रुचि से अवगत कराया। दोनों मंत्रियों ने पिछले साल अपनाए गए विजन स्टेटमेंट के ढांचे के तहत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

उम्रकैद की सजा काट रहे बूढ़े और गंभीर बीमारी से पीड़ित बंदियों को मिलेगी समय से पहले रिहाई, सरकार ने सभी जेलों से मांगी लिस्ट

लखनऊ (आरएनएस)। यूपी की जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बंदियों को योगी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। मानवीय आधार पर ऐसे कैदियों को जेल की चाहरदीवारियों से बाहर भेजने की तैयारियां शुरू हो गयी है। सरकार की ओर से इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दो हफ्ते में प्राथमिकता तय करते हुए यूपी के सभी जेलों में बंद ऐसे कैदियों की लिस्ट एक महीने में शासन को सौंपने के लिए कहा गया है। खुद मुख्य सचिव ने इसे लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद यूपी की जेलों को लेकर तमाम रचनात्मक कार्य शुरू कराए हैं। कैदियों के स्किल डेवलपमेंट से लेकर उनके मानवाधिकार को लेकर मुख्यालय स्तर पर कार्य और निगरानी हो रही है। इसी क्रम में प्रदेश की जेलों में बंद बुजुर्ग और गंभीर रोगों से ग्रस्त कैदियों को मानवीय आधार पर रिहाई मिलने जा रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जेल अधिकारियों से समय पूर्व रिहाई की अहर्ता रखने वाले कैदियों की लिस्ट तलब की है। कहा गया है कि ऐसे मामले जिनमें पहले ही निर्णय हो चुका है, उनकी रिपोर्ट भी शासन को प्रेषित की जाए। ऐसे कैदी जो सत्तर साल की उम्र से अधिक के हों या गंभीर बीमारियों से पीड़ित हों, इनकी लिस्ट प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाए और अगले दो माह में इसके निस्तारण के लिए सभी जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दो सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक प्राथमिकताएं निर्धारित करने का निर्देश दिया है, जिससे अन्य सभी लंबित मामलों का निस्तारण किया जाए।

हालांकि इस मामले में कुछ सावधानी बरतने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश बंदी परिवीक्षा नियमावली और जेल मैनुअल में निहित नियमों के तहत रिहाई के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए कहा गया है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। जैसे, क्या उसके द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है? क्या बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की कोई आशंका है? क्या सिद्धदोष बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त हो गया है? क्या बंदी को जेल में और आगे निरुद्ध करने का कोई सार्थक प्रयोजन है? और क्या बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बंदी को समयपूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त है।